कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.07.2024

विषयः- दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त वरुण शर्मा उर्फ स्पर्श थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-304/2024 धारा 376(2)(N),384,504,506,323 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त वरूण शर्मा उर्फ स्पर्श पुत्र विजय कुमार विश्वकर्मा निवासी डी-59/1278 शिवाजी नगर महमूरगंज थाना सिगरा जनपद वाराणसी को दिनांक-04.07.2024 को समय करीब 17.10 बजे थाना सारनाथ परिसर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-03.07.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी वरूण शर्मा उर्फ स्पर्श से 9 माह पूर्व जुलाई माह में एक दोस्त के जन्मदिन पर मुलाकात हुई और प्रार्थिनी का मोबाइल नम्बर लेकर दूसरे दिन से विपक्षी अपने मोबाइल नम्बर से बात करने लगा व चार दिन बाद दिनांक-01.08.2023 को शाम 7 बजे विपक्षी प्रार्थिनी/पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया व अपने चार पहिया वाहन में बैठाकर कोल्ड ड्रिन्क में शराब मिलाकर पिलाया और वहाँ से प्रार्थिनी को एक डिस्को में लेकर गया जहाँ प्रार्थिनी को दबाव बनाकर पुनः शराब पिलाया और प्रार्थिनी जब अचेत अवस्था में हुई तो विपक्षी प्रार्थिनी/पीड़िता को होटल आयो में ले गया और प्रार्थिनी के अचेत अवस्था का फायदा उठाकर प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और उसका अश्लील न्यूड वीडियो बना लिया। प्रार्थिनी सुबह जब होश में आयी तो प्रार्थिनी को यह महसूस हुआ कि प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ गलत काम हुआ है और विपक्षी बगल में अर्धनग्न अवस्था में बैठकर प्रार्थिनी/पीड़िता का फोटो बना रहा था। जब प्रार्थिनी ने शोर मचाया तो विपक्षी ने प्रार्थिनी/पीड़िता का मुंह बन्द करके कहा कि तुम्हारी नग्न वीडियो मेरे पास है, यदि तुम किसी से बतायी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देगें जिससे प्रार्थिनी/पीड़िता लोक लाज के डर से अपने घर चली गयी और ये बात किसी को नही बतायी, जिससे विपक्षी प्रार्थिनी/पीड़िता को लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ ओयो होटल में ले जाकर लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा एवं वीडियो वायरल करने के नाम पर विपक्षी ने प्रार्थिनी/पीड़िता से

लाखों रूपया नगद व लाखों रूपया ऑनलाइन भी विपक्षी ने अपने खाते में प्रार्थिनी/पीड़िता से लिया और पुनः प्यार मोहब्बत की बाते कर विपक्षी प्रार्थिनी/पीड़िता से शादी की बात करने लगा व विपक्षी प्रार्थिनी/पीड़िता से लगातार शादी का झांसा देकर कभी होटल तो कभी घर में शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा और जब विपक्षी का मन भर गया तो वह प्रार्थिनी/पीड़िता को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देता था, जिसके आधार पर थाना सारनाथ मे मु0अ0सं0-304/2024 धारा 376(2)(N),384,504,506,323 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 परमहंस गुप्ता द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वरूण शर्मा उर्फ स्पर्श पुत्र विजय कुमार विश्वकर्मा निवासी डी-59/1278 शिवाजी नगर महमूरगंज थाना सिगरा जनपद वाराणसी, उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- थाना सारनाथ परिसर कमिश्नरेट वाराणसी से दिनांक-04.07.2024 को समय करीब 17.10 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 परमहंस गुप्ता थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।